न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 249 / 2022 निर्णय दिनांक 24.02.2023

ऑनलाईन नंबर 2022 / 361

विमल कुमार पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जाति ओसवाल पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी महावीर मार्बल्स 712 गडपुर, कटक, उड़ीसा वास्ते भंवरलाल पुत्र महालचन्द पुगलिया HUF कर्ता

–प्रार्थीगण–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक खेत खसरा नम्बर 1424 / 1327 / 1198 / 434 तादादी 0.2530 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.10.2012 को पूर्व खातेदार पवन कुमार पुत्र आसाराम जाति सुथार निवासी श्रीडूंगरगढ़ से खरीद किया था। प्रार्थी ने उक्त खेत का कब्जा प्राप्त कर सीमांकन कर लिया। इस भूमि के नया खसरा नंबर संलग्न जमाबन्दी अनुसार 1424 / 1327 है। प्रार्थी का संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका प्रार्थी कर्ता खान दान है। प्रार्थी का संयुक्त हिन्दू परिवार उड़ीसा राज्य में रहता है। प्रार्थी ने उक्त खेत खरीद कर तुरन्त ही उड़ीसा चला गया व अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गया। प्रार्थी ने उक्त खेत खरीद करने के बाद राजस्व रिकार्ड को नही संभाला। यह है कि अभी माह दिसम्बर 2022 में प्रार्थी श्रीडूंगरगढ़ आया व अपने खरीद शुदा खेत का भूमिरूपान्तरण करवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 14.12.2022 को निकलवाइ तो प्रार्थी को पता चला कि प्रार्थी के खरीद शुदा उक्त खेत का नामान्तरण संख्या 284 दिनांक 16.11.2012 के जिरये सिर्फ भंवरलाल पुत्र महालचन्द जाति पुगलिया सा.देह खातेदार के नाम से दर्ज हो रखा है व आगे की चौसाला जमाबन्दियों मे भी उक्त आधा अधूरा नाम दर्ज चला आ रहा है जो कि सही नही है जबकि सही व वास्तविक रूप से उक्त नामान्तरण में प्रार्थी क्रेता का पूरा नाम विमल कुमार पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जाति ओसवाल पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी महावीर मार्बल्स 712 गडपुर, कटक, उड़ीसा वास्ते भंवरलाल पुत्र महालचन्द पुगलिया HUF दर्ज होना चाहिए था। विक्रय पत्र दिनांक 25.10.2012 इन्तकाल संख्या 284 दिनांक 26.11.2012 जमाबंदी सम्वत् 2073–76 आदि दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतिया वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तूत की जा रही है। प्रार्थी के खरीद शुदा उक्त खेत के राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के अनुसार दर्ज नही होने से प्रार्थी व प्रार्थी के संयुक्त हिन्दू परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व प्रार्थी को असीम नुकसान हो रहा है। वर्णित खसरा भूमि में विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर है, इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2022 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का सयुक्त हिन्दू परिवार है और मैंने विक्र[illegible] जो खेत खरीद किया है उसके राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के अनुसार [illegible] का नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा [illegible] भंवरलाल पुत्र महालचन्द पुगलिया अंकित कर दिया है जो [illegible] राजस्व रिकार्ड में शुद्धि[illegible] कर विक्रय पत्र के अनुसार सही नाम विमल कुमा[illegible] पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल [illegible] ओसवाल पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी महावीर मार्बल्स 712 गडपुर, कटक, उड़ीसा वास्ते भंवरलाल पुत्र महालचन्द पुगलिया HUF अंकित कर देवे तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आपका कहना तो सही है परन्तु एकबार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

राजस्व रिकार्ड में अंकन हो जाने पर राजस्व रिकार्ड की गलती को हम बिना किसी उचित आदेश के दुरूस्त नही कर सकते, इसलिए आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नही है, इस प्रकार अप्रार्थी ने शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नही पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी व प्रार्थी के सयुक्त परिवार को भारी अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी विक्रय पत्र दिनांक 25.10.2012 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करवाने से इन्कार करने पर प्रार्थी को यह शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उक्त शुद्धिकरण से अप्रार्थी के हितो पर किसी भी प्रकार से कोई विपरीत असर नही पड़ेगा बल्कि शुद्धि नही होने से प्रार्थी व प्रार्थी के संयुक्त हिन्दू परिवार पर विपरीत असर पड़ रहा है। वर्णित खसरा भूमि रोही कस्बा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मे स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह है कि प्रार्थना पत्र हर तरह से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तूत है। प्रार्थना पत्र हर तरह से पूर्ण कोर्ट फीस पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तूत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 1424/1327/1198/434 तादादी 0.2530 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भंवरलाल पुत्र महालचन्द जाति पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ की जगह विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 25.10.2012 के अनुसार पूरा व सही नाम विमल कुमार पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जाति ओसवाल पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी महावीर मार्बल्स 712 गडपुर, कटक, उड़ीसा वास्ते भंवरलाल पुत्र महालचन्द पुगलिया HUF कर्ता अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1424/1327/1198/434 तादादी 0.2530 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भंवरलाल पुत्र महालचन्द जाति पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ की जगह विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 25.10.2012 के अनुसार पूरा व सही नाम विमल कुमार पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जाति ओसवाल पुगलिया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी महावीर मार्बल्स 712 गडपुर, कटक, उड़ीसा वास्ते भंवरलाल पुत्र महालचन्द पुगलिया HUF कर्ता अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:23 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)